

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज, अरवल, कटिहार, शिवहर, वेतिया एवं शेखपुरा के कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि ₹7,42,00,000 (सात करोड़ बियालीस लाख) मात्र की अग्रिम निकासी हेतु पूर्व के वर्षों में स्वीकृत आवंटित राशि का सामंजन महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना में लम्बित रहने के बावजूद बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम-194(i) को शिथिल करने का अनुरोध वित्त विभाग, बिहार, पटना से किया गया था। फलस्वरूप वित्त विभाग के समीक्षोपरान्त उक्त स्वीकृत राशि की निकासी कर कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पी० एल० खाता में रखने के शर्तों पर बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-194(i) को वित्त विभागीय पत्रांक-2320, दिनांक-28.03.17 द्वारा शिथिल किया गया है।

अतः उद्योग विभागीय राज्यादेश सं०-3410, दिनांक-19.09.2016 के कंडिका-5 को वित्त विभागीय पत्रांक-2320, दिनांक-28.03.2017 के आलोक में निम्न प्रकार से संशोधित की जाती है, तदनुसार इसे इसप्रकार पढ़ा जाये :-

1. कंडिका-5 इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से उक्त स्वीकृत राशि की निकासी कर कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पी०एल० खाता सं०-238, कोड-8448001200017 में उपलब्ध करायेगें।

2. राज्यादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगे।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

सं०सं०-03/उ०नि०/विविध(जि०उ०के०)भवन नि०-11/14

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

सं०सं०-03/उ०नि०/विविध(जि०उ०के०)भवन नि०-11/14

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक..... /

सं०सं०-०३/उ०नि०/विविध(जि०उ०के०)भवन नि०-११/१४

प्रतिलिपि:-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक.....

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 29.03.17

ज्ञापांक..... 950 /

सं०सं०-०३/उ०नि०/विविध(जि०उ०के०)भवन नि०-११/१४

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-३(उ०नि०), को तीन प्रतियों में/प्रशाखा-१ योजना (स०) को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

29/3/17